विषय: जिला स्तरीय डीलरों द्वारा सामग्री की बिक्री हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश

प्रस्तावना :

1 राष्ट्रीय इस्पात नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत को वर्ष 2019-20 तक 2 कि ग्रा प्रति मानव वर्ष के वर्तमान स्तर से 4 किग्रा प्रति मानव वर्ष तक बढाने की परिकल्पना की गई है| ऐसे भी ग्रामीण भारत में विकास की बहुत गुंजाइश है| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ग्रामीण एवं अर्ध्द-शहरी क्षेत्रों में अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करके इन क्षेत्रों में अपने उत्पादों का विपणन करना चाहता है|

2 ग्रामीण भारत में इस्पात की खपत संबंधी अपरिमित संभावना को पहचानने के क्रम में, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, अपने उत्पादों, जो विस्तार के पश्चात दुगुनी हो जायेंगे, को बेचने के लिए जिला स्तर पर डीलरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना चाहता है|

जिला स्तरीय डीलरों का स्थान निर्धारण :

3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भारत के सभी जिलों में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय डीलर (डी एल डी) को नियुक्त कर रहा है| आगे, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अधिक जिला स्तरीय डीलरों के पंजीकरण के माध्यम से खुदरे व्यापार में अपने बाजार का शेयर बढाने के लिए प्रयत्नशील है| पहले पहल, आंध्र प्रदेश एवं केरल के सभी जिलों में प्रत्येक जिले के लिए डीलरों की संख्या 4 तक बढायी जाएगी| जिला स्तरीय डीलरों का पंजीकरण जिला मुख्यालय एवं प्रमुख शहरों को छोड़कर टायर-2 शहरों में किया जाएगा|

4 प्रत्येक जिले के लिए प्रस्तावित 4 आउटलेटों में से, एक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए, एक अन्य पिछडी ज़ातियों के लिए आरक्षित किये जायेंगे और शेष दो सामान्य श्रेणी के लिए होंगे| सामान्य श्रेणी का स्थान, योग्यता के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछडी ज़ातियों के लिए भी खुला रहेगा| पहले ही पंजीकृत जिला स्तरीय डीलरों पर ध्यान देते हुए, शेष तीन जिला स्तरीय डीलरों को बाकी श्रेणियों का प्रस्ताव दिया जाएगा| जिन राज्यों में एक जिला स्तरीय डीलर मौजूद हो, राज्य में स्थापित होनेवाले प्रति 4 आउटलेटों में क्रमश: एक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए, एक अन्य पिछडी ज़ाति के लिए आरक्षित किये जायेंगे|

5 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड योग्य इकाइयों/आवेदकों से जिला स्तरीय डीलरों के रूप में पंजीकृत करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है| आम तौर पर, आवेदन अगस्त और नवंबर के महीनें में आमंत्रित किये जायेंगे और पंजीकरण प्रक्रिया नवंबर एवं मार्च तक पूरी होगी| नये जिला स्तरीय डीलर अगले वित्त वर्ष के दिसंबर और 1 अप्रैल से काम करने लगेंगे| विज्ञापन के लिए विस्तृत प्रपत्र, आवेदक के लिए अनुदेश, आवेदन का प्रपत्र क्रमश: अनुलग्नक 1 से 3 में प्रस्तुत हैं| मूल्यांकन क्रम, शीट और पंजीकरण संबंधी करार क्रमश: अनुलग्नक 7, 4 और 5 में प्रस्तुत हैं|

6 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के वर्तमान दीर्घकालिक ठेकेदार, खुदरे व्यापारी, समझौता ज्ञापन के ग्राहक, परेषण अभिकर्ता, परेषण बिक्री अभिकर्ता, जिला स्तरीय डीलर या प्रहस्तन ठेकेदार, जिला स्तरीय डीलरों के लिए आवेदन देने के लिए योग्य नहीं हैं| यद्यपि एक आवेदक एक स्थान से अधिक स्थानों के लिए आवेदन दे सकता है, लेकिन एक ही स्थान हेतु उसके आवेदन पर विचार किया जाएगा|

7 जिला स्तरीय डीलरों के आवेदनों का मूल्यांकन 5 अंकों के आधार पर किया जाएगा और मूल्यांकन प्रक्रिया में सिर्फ दो मदों पर विचार किया जाएगा यानि (1) इस्पात या सिमेंट क्षेत्र में अनुभव तथा (2) अनुसूचित बैंक द्वारा प्रमाणिकृत अनुसार वित्तीय क्षमताएँ| न्यूनतम योग्यता का मानदण्ड 1 **(एक)** अंक होगा|

8 (खंड 9 में शामिल किया गया है)

9 आवेदन माँगते समय जिला के स्थान विनिर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं|

<u>जिन जिलों में 4 डीलरों को पंजीकृत किया जाएगा, उन जिलों में चयन पद्धति:</u>

अ **प्रथम:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों में, अत्यधिक अंक पानेवाले आवेदक का चयन किया जाएगा| आवेदन के अनुसार ही जिला स्तरीय डीलर का स्थान होगा तथा अगले पहल में उस स्थान को निकाल दिया जाएगा|

आ **द्वितीय:** अन्य पिछड़े वर्ग/पिछड़े वर्ग के आवेदकों में, अत्यधिक अंक पानेवाले आवेदक का चयन किया जाएगा| आवेदन के अनुसार ही जिला स्तरीय डीलर का स्थान होगा तथा अगले पहल में उस स्थान को निकाल दिया जाएगा|

इ **तृतीय:** अ व आ के अलावा सभी अन्य स्थानों में अत्यधिक अंक पानेवाले दो आवेदकों में श्रेणियों {अ जा/अ ज जा, अ पि व/पि व, अन्य} के बारे में विचार किए बिना चयन किया जाएगा|

ई पहल इ में यदि आवेदकों को समान अंक मिले तो, 1. अ जा/अ ज जा 2. अ पि व /पि व 3. अन्य इसी क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी|

उ यदि एक ही श्रेणी में आवेदकों को समान अंक मिले तो, जो आवेदक अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र के अनुसार अधिकतम कारोबार करता है, उसे विचार में लिया जाएगा|

<u>जिन जिलों में 1 डीलरों को पंजीकृत किया जाएगा, उन जिलों में चयन पद्धति:</u>

अ एक राज्य में सिर्फ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी के लिए आरक्षित 25% जिलों को पहचाना जाएगा, अन्य पिछड़े वर्ग/पिछड़े वर्ग की श्रेणियों के लिए अन्य 25% जिलों को तथा बाकि 50% जिलों को सभी श्रेणियों के लिए खुले रखेंगे| संबद्ध क्षेत्रीय प्रबंधक को उपर्युक्त अनुसार जिलों को पहचानना होगा एवं तदनुसार आवेदनों को बुलाना होगा|

आ यदि खुली श्रेणी के जिलों में समान अंक आए तो, 1. अ जा/अ ज जा 2. अ पि व/पि व 3. अन्य इसी क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी|

इ यदि एक ही श्रेणी में आवेदकों को समान अंक मिले तो, जो आवेदक अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र के अनुसार अधिकतम कारोबार करता है, उसे विचार में लिया जाएगा|

10 जिला स्तरीय डीलर से नियंत्रक शाखा कार्यालय द्वारा प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में प्रदत्त आउटलेट का, प्रयोक्ता/ग्राहकों की छोटी एवं अल्प माँगों की पूर्ति हेतु, खासकर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उत्पादों के लिए प्रचालन करने की अपेक्षा की जाती है| हालांकि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ऐसे अधिकार क्षेत्र में, सीधे या किसी अन्य प्रकार से कोई भी उत्पाद बेचने का अधिकार रखता है|

शामिल किये गये मद :

11 ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता द्वारा उपयोग एवं गृह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेवा पहुँचाने हेतु जिला स्तरीय डीलरों का पंजीकरण किया जाता है| तदनुसार, उत्पादों की श्रेणी में खासकर 8 एम एम से 16 एम एम साइज के टी एम टी सरिया शामिल किये गये| हालांकि, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा बेचे जानेवाले सरिया एवं संरचनात्मक उत्पादों के अन्य साइज भी जिला स्तरीय डीलरों के अनुरोध पर शामिल किये जा सकते हैं| आगे, कोई भी जिला स्तरीय डीलर के लिए कोई भी नए उत्पाद शामिल करने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक/शाखा प्रबंधक के अनुमोदन के साथ मासिक वार विपणन विभाग के विभागाध्यक्ष को जानकारी दी जाएगी|

पंजीकरण की अवधि :

12 जिला स्तरीय डीलरों का पंजीकरण दो वर्षों के पश्चात समीक्षा के प्रावधान के साथ पहले 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा| पंजीकरण की अवधि एक समय एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा| संतोषजनक निष्पादन के साथ पंजीकरण की अवधि की समाप्ति के आधार पर बढ़ाया जाएगा| उसी प्रकार समीक्षा पर, यदि निष्पादन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, वह रद्द की जाने की संभावना है|

13 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडी ज़ाति की श्रेणियों के जिला स्तरीय डीलरों को छोडक़र, शेष जिला स्तरीय डीलरों को 50000/- की प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करनी होगी| यदि जिला स्तरीय डीलर खंड 26 में सूचित संतोषजनक निष्पादन मानदंड की पूर्ति करने में असफल होता है, तो यह प्रतिभूति जमा जब्त की जाएगी|

14 जिला स्तरीय डीलर को मान्य अवधि सूचित करते हुए एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसे जिला स्तरीय डीलर के बिक्री कार्यालय में एक खास व प्रमुख जगह पर रखना होगा|

15 उपरोक्त अनुसार प्रतिभूति जमा, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करने के पश्चात और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उत्पादों के लिए आउटलेट के विशेष आउटलेट के रूप में संतोषजनक विकास के निरीक्षण के पश्चात जिला स्तरीय डीलरों को उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी|

बिक्री दर :

16 जिला स्तरीय डीलर प्रेषण की तिथि पर लागू अनुसार एक्स-स्टॉकयार्ड/एक्स-संयंत्र दरों पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उत्पाद खरीद सकते हैं| भुगतान, अग्रिम भुगतान के आधार पर होना चाहिए और भुगतान की राशि निर्धारित शाखा के स्थान पर देय अनुसार डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/एन ई एफ टी के रूप में होना चाहिए|

17 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिला स्तरीय डीलरों के लिए निम्नलिखित तालिका के अनुसार परिवहन सब्सिडी (निगमित सामाजिक दायित्व के अधीन) देगा|

श्रेणी/वर्ष	प्रथम वर्ष 2008-09	द्वितीय वर्ष 2009-10	तृतीय वर्ष 2010-11	2011-12 से आगे
अनुसूचित जाति/जनजाति	95%	75%	50%	शून्य
अन्य पिछडी ज़ाति	95%	60%	40%	शून्य
सामान्य	75%	50%	25%	शून्य

18 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिला स्तरीय डीलरों को उनके स्थान पर सामग्री प्रेषित करेंगे और उपरोक्त अनुसार परिवहन प्रभारों को वहन करेगा| फिर भी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड किसी कारण से जिला स्तरीय डीलर को उसके स्थान पर सामग्री की आपूर्ति कर नहीं पाता है, और यदि जिला स्तरीय डीलर संबध्द शाखा कार्यालय (अथवा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा तय किये गये अनुसार एक्स-संयंत्र) के स्टॉकयार्ड से सामग्री उठा लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो परिवहन सब्सिडी नहीं दी जाएगी| जिला स्तरीय डीलरों को ऐसे सभी एक्स-संयंत्र/ एक्स-स्टॉकयार्ड प्रेषण परिवहन सब्सिडी के बिना ही होते हैं|

19 जिला स्तरीय डीलर ऐसी दर पर सामग्री बेचेंगे, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा घोषित सिफारिश की गयी अधिकतम सुझाये गये खुदरे दर (एम आर आर पी) से अधिक न हो| हालांकि, बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर, राज्य सीमा कर, आदि जैसे स्थानीय कर प्रयोज्य अनुसार अतिरिक्त होंगे| संबद्ध उत्पादों के लिए नियंत्रक शाखा के **वितरण आदेश चरण दर (वि आ च द)** में 1200/- रुपये (डीलरों का लाभ) और जिला स्तरीय डीलर के स्थान पर लागू भाडे (ज़ो जिला स्तरीय डीलर द्वारा भरा जाएगा) को जोडक़र एम आर आर पी तय किया जाएगा| संबद्ध शाखा द्वारा प्रति एम टन उत्पाद के लिए, बार के वजन की गणना के अनुसार प्रत्येक बार के आधार पर एम आर आर पी निर्धारित की जाएगी|

20 जिला स्तरीय डीलरों को शाखा द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार बिक्री के स्थान पर अधिकतम सिफारिश खुदरे कीमत दिखाना होगा|

21 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से जिला स्तरीय डीलरों को बिक्रियाँ, वजन पर आधारित होंगी| हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात को सीधे लंबाइयों में सुनिश्चित किया जाता है और हमारे उत्पादों को सीधे लंबाई के आधार पर बेचना उपयुक्त होगा, ताकि ग्राहक को खर्च की गयी राशि का पूरा लाभ मिल सके|

तदनुसार, हमारे सरिया की लंबाइयों को मानक बनाया जाए, ताकि प्रत्येक बार का औसतन मूल्य निर्धारित हो सके और तदनुसार उसे बेचा जाय|

22 जिला स्तरीय डीलर, यार्ड से 50 किलोमीटर की रेडियस दूरी के अंतर्गत अपने ग्राहकों के परिसर/स्थान तक परिवहन प्रभार के बिना सामग्री भेजेगा| इस सेवा के लिए डीलरों के लाभ के अलावा 200 रुपये तक की राशि दी जाएगी|

23 सभी जिला स्तरीय डीलर, शाखा के अन्य ग्राहकों के समय-समय पर घोषित होनेवाले बिक्री प्रोत्साहन बराबर पाने के योग्य होंगे|

मात्रा :

24 एक महीने में स्वीकृत मात्रा 50 टन होगा| तदनुसार 50 टन तक की सामग्री की मात्रा के लिए सब्सिडी दी. यदि जिला स्तरीय डीलर 50 टन से ज्यादा लेना चाहता हो, तो वह शाखा की वर्तमान शर्तों के अनुसार सामग्री ले सकता है|

25 जिला स्तरीय डीलर को महीने में सूचित मात्रा के प्रस्ताव में प्राथमिकता दी जाएगी| जिला स्तरीय डीलर के माँगने पर, शाखा, महीने के लिए उपलब्ध एवं संभावित स्टॉक के आधार पर महीने में उत्पाद-वार मात्रा निर्धारित करेगी| किसी कैलेंडर महीने में किसी समस्या के कारण राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अगर स्वीकृत मात्रा की आपूर्ति नहीं कर पाता है, तो अगले महीने में उसकी आपूर्ति कर सकता है| जिला स्तरीय डीलर को प्रस्तावित मात्रा या जिला स्तरीय डीलर द्वारा न उठायी गयी मात्रा को सेवा के रूप में माना जाएगा|

26 निम्नलिखित पद्धति के अनुसार जिला स्तरीय डीलर के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा:

अ पंजीकरण के बाद, द्वितीय वर्ष के अंत तक निष्पादन का पहला मूल्यांकन किया जाएगा| दो वर्षों के लिए यथानुपातीय प्रतिबद्ध मात्रा का निम्नतम 25% निष्पादन की जरूरत है| द्वितीय वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25% की उठाई में असफल होने पर प्रतिपूर्ति जमा* की जब्ती के साथ-साथ जिला स्तरीय डीलर का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा|

आ यदि उठाई 50% से कम हो तो, प्रतिपूर्ति जमा* जब्त की जाएगी तथा जिला स्तरीय डीलर को अपनी डीलरशिप को जारी रखने हेतु नए सिरे से प्रतिपूर्ति जमा* को प्रस्तुत करना होगा|

* जहाँ भी लागू हो|

इ तृतीय वर्ष से, वर्ष अंत तक वर्षिक स्वीकृत मात्राओं के न्यूनतम 25% निष्पादन की जरूरत होगी| यदि उठाई में असफल होने पर प्रतिपूर्ति जमा* की जब्ती के साथ-साथ जिला स्तरीय डीलर का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा|

ई यदि उठाई 50% से कम हो तो, प्रतिपूर्ति जमा* जब्त की जाएगी तथा जिला स्तरीय डीलर को अपनी डीलरशिप को जारी रखने हेतु नए सिरे से प्रतिपूर्ति जमा* को प्रस्तुत करना होगा|

* जहाँ भी लागू हो|

(एल ओ आई के दिन से वर्ष की गिनती की जाएगी)

उ 5 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर, वर्ष वार परस्पर स्वीकृति के आधार पर जिला स्तरीय पंजीकरण को नवीकृत किया जाएगा तथा ऊपर के इ व ई के अनुसार ही निष्पादन के मानदंड होंगे|

प्रेरणात्मक प्रयास :

27 जिला स्तरीय डीलर, अपने द्वारा बेचे गये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उत्पादों की बिक्रियों को बढावा अपने खर्च पर कर सकते हैं| हालांकि, जिला स्तरीय डीलरों द्वारा बिक्रियों को बढावा देने की दिशा में उपयोग की गयी सामग्री के लिए पहले राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा अनुमति दी जाएगी|

मात्रा :

28 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिला स्तरीय डीलरों को आपूर्ति की गयी सामग्री के लिए जाँच प्रमाणपत्र देगा| जिला स्तरीय डीलर, ग्राहकों को जाँच प्रमाणपत्र की प्रतियाँ देंगे|

29 जिला स्तरीय डीलर, अपने परिसर में सामग्री के भंडारण के संबंध में कोई क्षति, उत्पादों के मिल जाने या उत्पादों की पहचान में नुकसान से बचने के क्रम में पर्याप्त ध्यान देगा| जिला स्तरीय डीलर आनेवाली या जानेवाली सामग्री का हिसाब-किताब रखेगा|

30 गुणवत्ता शिकायतें, यदि कोई हों तो, लागू गुणवत्ता शिकायत निवारण पध्दति के अनुसार निपटायी जाएँगी|

31 जिला स्तरीय डीलर, अपने परिसर में किसी खास एवं प्रमुख जगह पर वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक और विपणन के विभागाध्यक्ष के नाम, पता और दूरभाष सं लगायेंगे, जिससे ग्राहकों को किसी कठिनाई या आगे की जानकारी आवश्यक होने पर उनसे संपर्क करने में सुविधा हो| जिला स्तरीय डीलर अपने परिसर में एक सुझाव व शिकायत पंजी रखें और प्राप्त सुझाव/शिकायतों को शीघ्र वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक को भेजें|

निरीक्षण एवं प्रतिवेदन :

32 शाखा के द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार जिला स्तरीय डीलर निम्नलिखित प्रतिवेदनों को संबद्ध शाखा में आवधिक रूप से प्रस्तुत करेंगे|

अ) निर्धारित प्रपत्र में स्टॉक और बिक्री प्रतिवेदन

33 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिला स्तरीय डीलरों के परिसर का कभी भी निरीक्षण करने का अधिकार एवं स्वेच्छा रखता है| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि के अनुरोध पर, जिला स्तरीय डीलर अभिलेखों की प्रस्तुति द्वारा ऐसे निरीक्षण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ व सहयोग प्रदान करेगा|

34 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को निम्नलिखित मामलों में जिला स्तरीय डीलर के पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है:

अ यदि किसी समय जिला स्तरीय डीलर द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन में दी गयी घोषणा में असत्य पाए जाने पर,

आ यदि उपर्युक्त खंड 26 के अनुसार निष्पादन करने में जिला स्तरीय डीलर असफल हो,

इ या ऐसी कोई मामला, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के हित के लिए हानिकर हो,

35 उपरोक्त खंड 36 के अनुसार पंजीकरण रद्द किए गए जिला स्तरीय डीलरों को, पंजीकरण की रद्द की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के किसी भी बिक्री आउटलेट की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी|

अनुलग्नक-1

जिला स्तरीय डीलरों के पंजीकरण हेतु विज्ञापन का प्रपत्र

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
क्षेत्रीय कार्यालय का पता

सं.वी एस पी/विपणन/ दिनांक:

इस्पात उत्पादों की बिक्री हेतु जिला स्तरीय डीलरों के रूप में पंजीकरण

1 निम्नलिखित स्थानों पर इस्पात उत्पादों की बिक्री हेतु राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिला स्तरीय डीलरों के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करता है|

जिला स्तरीय डीलर का स्थान	श्रेणी	संबध्द शाखा का नाम व पता
1		
2		

2 ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता द्वारा उपयोग एवं गृह निर्माण को बढावा देने के लिए सेवा पहुँचाने हेतु जिला स्तरीय डीलरों का पंजीकरण किया जाता है| तदनुसार, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा बेचे जानेवाले विविध आकार एवं श्रेणी के टी एम टी सरिया एवं संरचनात्मक उत्पाद शामिल हैं|

3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के वर्तमान दीर्घकालिक ठेकेदार, खुदरे व्यापारी, समझौता ज्ञापन के ग्राहक, परेषण अभिकर्ता, परेषण बिक्री अभिकर्ता, जिला स्तरीय डीलर या प्रहस्तन ठेकेदार, जिला स्तरीय डीलरों के लिए आवेदन देने के लिए योग्य नहीं हैं| एक आवेदक एक से अधिक स्थानों के लिए आवेदन दे सकता है| हालाँकि आवेदक को उसके द्वारा चुने हुए एक स्थान के लिए ही जिला स्तरीय डीलर हेतु पंजीकृत किया जाएगा, यद्यपि वह कई स्थानों के लिए योग्य हो|

4 आवेदन प्रपत्र, आवेदक के लिए अनुदेश एवं शर्त व निबंधन हमारे वेबसाइट www.vizagsteel.com से डाऊनलोड किया जा सकता है अथवा ऊपर दिये गये संबध्द शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक से नि:शुल्क दि. / / के अ500 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है|

5 भरे गये आवेदन पत्र संबध्द शाखा में रखे गये बॉक्स में दि. / / के अ.3.00 बजे तक डाल दिये जाने चाहिए| उन्हें उसी दिन अ330 बजे खोला जाएगा|

6 इच्छुक पार्टियाँ अधिक जानकारी हेतु संबद्ध शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक से संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारा उपरोक्त वेबसाइट देख सकते हैं|

7 विनिर्दिष्ट श्रेणी से संबध्द आवेदक केवल विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए विज्ञापित स्थानों हेतु आवेदन दे सकते हैं| हालांकि, अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछडे वर्ग के आवेदक योग्यता के आधार पर विचार हेतु सामान्य श्रेणी के लिए विज्ञापित स्थानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं|

क्षेत्रीय प्रबंधक

अनुलग्नक-2

आवेदक के लिए अनुदेश

1 आवेदक, आवेदन प्रपत्र एवं शर्त व निबंधन ध्यान से पढेंगे और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के जिला स्तरीय डीलर के रूप में अपने पंजीकरण को नियंत्रित करनेवाले शर्त एवं निबंधन पूर्ण रूप से समझेंगे|

2 आवेदक, संबद्ध शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक या उसके मनोनीत अधिकारी से मिलकर किये जानेवाले कार्यों की जानकारी रखेगा| आवेदक को डीलरशिप की अवधि के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के स्टॉकयार्ड एवं उसके स्थान, जहाँ से आम तौर पर सामग्री भेजी जाती है, का दौरा करना पडेगा और उसके बारे में जानकारी रखना होगा| आवेदक को आवेदन देते समय ही ऐसा माना जाएगा कि वह अपने पंजीकरण को नियंत्रित करनेवाले शर्त एवं निबंधन की जानकारी रखता है और आवेदन प्रस्तुत करने के समय ही शाखा एवं स्टॉकयार्ड स्थान के बारे में उसे जानकारी है|

3 प्रपत्र के अनुसार विवरण भरना होगा, और जहाँ लागू हो, कागजाती प्रमाण प्रस्तुत करना होगा| आवेदन में किये गये दावे और आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये कागजात पर ही विचार किया जाएगा| इसके बाद कोई अतिरिक्त कागजात या दावों पर विचार नहीं किया जाएगा| केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र स्वीकृत हैं| अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणियों के लिए राज्य के पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र भी स्वीकृत योग्य है|

4 जिला स्तरीय डीलर से नियंत्रक शाखा कार्यालय द्वारा प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में प्रदत्त आउटलेट का, प्रयोक्ता/ग्राहकों की छोटी एवं अल्प माँगों की पूर्ति हेतु, खासकर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उत्पादों के लिए प्रचालन करने की अपेक्षा की जाती है| हालांकि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ऐसे अधिकार क्षेत्र में, सीधे या किसी अन्य प्रकार से कोई भी उत्पाद बेचने का अधिकार रखता है|

5 आवेदन पत्र संबध्द शाखा कार्यालय में रखे गये बॉक्स में नियत तिथि व समय के अंदर डाल देने चाहिए| नियत तिथि एवं समय के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा|

6 अपूर्ण आवेदन, आवश्यक कागजात के बिना प्रस्तुत आवेदन, और सशर्त आवेदन, अंततः अस्वीकृत किये जायेंगे. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अपनी सुविधा के अनुसार 90 दिनों के अंदर पंजीकरण पूरा कर सकता है|

7 आवेदन प्राप्त होने में विलंब, खो जाने या डाक द्वारा आवेदन प्राप्त न होना आदि के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होगा| फैक्स, ई-मेल, टेलीग्राम/टेलेक्स आदि द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा|

8 जिला स्तरीय डीलरों के आवेदनों का मूल्यांकन प्रक्रिया में सिर्फ दो मदों पर विचार किया जाएगा यानि (1) इस्पात या सिमेंट क्षेत्र में अनुभव तथा (2) अनुसूचित बैंक द्वारा प्रमाणिकृत अनुसार वित्तीय क्षमताएँ|

9 आवेदक जिला स्तरीय डीलर के प्रचालन के लिए उपयुक्त मूलसंरचना का प्रबंध करने का जिम्मेदारी है|

10 ऊपरी 9 में सूचित अवसंरचना के संबंध में कम से कम 2 परेषण की उठाई के पहलेआवेदक को अधिकार पत्र/पट्टा करार/पट्टे की सम्मति की प्रति प्रस्तुत करना होगा|

11 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड प्रचालन के प्रारंभ के पहले मूल संरचना सुविधाओं का निरीक्षण कर सकेगा|

12 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मूल्यांकन अंतिम व सर्वमान्य होगा| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कोई कारण बताये बिना, कोई और/अथवा सभी आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का हक रखता है|

जिला स्तरीय डीलर के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन पत्र के साथ

<u>आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले कागजातों की जाँच-सूची</u>

1 गोदाम :

कागजातों की जरूरत नहीं है|

2 श्रेणी :

अ) आरक्षित स्थानों के मामले में, निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र की प्रति

3 कारोबार :

कागजातों की जरूरत नहीं है|

4 अनुभव :

किन्ही भी पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात या सिमेंट व्यापार में अनुभव को सूचित करते हुए सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणपत्र|

5 संपन्नता :

अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया बैंकर प्रमाणपत्र (प्रपत्र संलग्न है)

बैंकर प्रमाणपत्र बैंक के शीर्ष पत्र पर होना चाहिए, बंध लिफाफे में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पते पर होना चाहिए|

मदों के अधीन योग्यता के दावे हेतु प्रत्येक मद में उल्लिखित कम से कम एक कागजात प्रस्तुत करें|

अनुलग्नक-3

जिला स्तरीय डीलर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

....

सिर्फ शाखा कार्यालय के उपयोगार्थ

खोलने की तारीख व समय	
आवेदनों की संख्या	
प्राप्त कुल आवेदन	

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

शाखा बिक्री कार्यालय का पता

इस्पात उत्पादों की बिक्री हेतु जिला स्तरीय डीलर के लिए आवेदन पत्र

1 आवेदक/संगठन का नाम :

2 आवेदक की स्थिति : प्रोप्राइटर/भागीदारी/निजी लिमिटेड संगठन/सार्वजनिक संगठन/सहकारी संस्था

3 श्रेणी (प्रयोज्य श्रेणी को टिक करें) : अ जा/अ ज जा/ अ पि वर्ग/सामान्य

(यदि अ जा/अ ज जा/अ पि वर्ग श्रेणी के हों तो, हमारे वेबसाइट www.vizagsteel.com में दिये गये प्रपत्र के अनुसार कृपया सक्षम प्राधिकारी से संबंधित कागजाती प्रमाण प्रस्तुत करें| प्रपत्र की प्रतिया/ तत्काल संदर्भ के लिए अनुलग्नक-8 व 9 में है|)

4. पता :

5 संपर्क के लिए विवरण :

फैक्स नं.

6 संपर्क करने योग्य व्यक्ति :

नाम

पदनाम

भागीदारी/निदेशक गण का विवरण :

(कृपया भागीदारी विलेख/ज्ञापन व कंपनी के अंतर्नियम, अद्यतन तुलन पत्र तथा लाभ-हानि विवरण सहित कंपनी के पंजीकरण के विवरण की प्रति संलग्न करें)

क्या कोई आवेदक/प्रोप्राइटर/भागीदार/निदेशकगण राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उत्पादों के दीर्घकालिक ग्राहक/परेषण अभिकर्ता/परेषण बिक्री अभिकर्ता/प्रहस्तन ठेकेदार हैं? हाँ/नहीं

क्या कोई आवेदक/प्रोप्राइटर/भागीदार/निदेशकगण, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के संबंधी हैं? (यदि हाँ/तो, कृपया विवरण दें.) हाँ/नहीं

7 बिक्री कर का विवरण :

केंद्रीय बिक्री कर संख्या व दिनांक

मूल्यवर्धित कर/राज्य बिक्री कर संख्या व दिनांक

ई सी सी संख्या

8 व्यापार का प्रकार : विनिर्माण/व्यापार

9 व्यवहृत उत्पादों के प्रकार :

10 कारोबार का विवरण :

	2006-07	2007-08	2008-09
कुल बिक्री कारोबार			
इस्पात उत्पादों का कारोबार (यदि हो तो)			

11 कुल ईक्विटी पूँजी या व्यापार में निवेश :
(लाख रुपयों में)

12 बैंक का नाम व पता :
(कृपया साख की विश्वसनीयता तथा संपन्नता को सूचित करते हुए बैंकर का संदर्भ संलग्न करें)

13 प्रस्तावित मूल संरचना की सुविधाओं का विवरण :

निजी/पट्टे पर लिये/पट्टे पर लेने की सम्मति

कार्यालय/बिक्री काउंटर
वर्ग फुट में क्षेत्र
(सूचित करें कि क्या प्रस्तावित यार्ड में पहले से है या
आवेदक के चयन के तुरंत बाद बनाया जाएगा) उपलब्ध/बनाया जाएगा

माल गोदाम/स्टॉकयार्ड
वर्ग फुट में क्षेत्र :
पता :
अन्य कोई जानकारी देना चाहें तो :
(कृपया अधिकार पत्र, पट्टा करार या पट्टे की सम्मति की एक प्रति के साथ मुख्य केंद्र से दूरी दर्शानेवाले नक्शे को प्रस्तुत करें.)

14 प्रति माह हेतु माल की प्रस्तावित मात्रा : (मेट्रिक टन में)

15 प्रस्तावित व्यापार हेतु क्षेत्र का दायरा/स्थान :

16 घोषणा :

मैंने/हमने, आवेदकों के अनुदेशों में उल्लिखित शर्त व निबंधन एवं जिला स्तरीय डीलर के रूप में पंजीकरण करार का मसौदा, पढे हैं और इनके लिए अपनी सहमति देता हूँ/देते हैं|

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त जानकारी सही एवं सटीक है| मैं/हम पूर्णत: जानता हूँ/जानते हैं कि, अगर ऊपर दी गई जानकारी असत्य पाई गई, तो मुझे/हमें अयोग्य माना जाएगा और/या मेरा/हमारा पंजीकरण किसी भी समय समाप्त किया जाएगा|

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति का मुहर के साथ हस्ताक्षर

सूचना: यह आवेदन प्रपत्र आवेदक के संगठन के पत्रशीर्ष पर सहपत्र के साथ संलग्न करें|

<u>अनुलग्नक-5</u>

पंजीकृत जिला स्तरीय डीलर के साथ करार का प्रपत्र

(संबध्द राज्य में प्रयोज्य अनुसार, उचित मूल्य के न्यायिकेतर स्टैंप पत्र पर प्रस्तुत किया जाना है)

यह करार सं. दि. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र, जिसका पंजीकृत कार्यालय मुख्य प्रशासनिक भवन, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र, विशाखपट्टणम-530 031 है, का प्रतिनिधि, (शाखा बिक्री कार्यालय) के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक (जिसे आगे 'राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड' कहा जाएगा) और मेसर्स (जिला स्तरीय डीलर का नाम व पता), जिसका पंजीकृत कार्यालय (यदि कंपनी पंजीकृत हो तो लागू), आगे 'जिला स्तरीय डीलर (डी एल डी) माना जाएगा, के बीच राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के इस्पात उत्पादों के क्रय तथा विपणन हेतु है|

हालाँकि, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विविध स्थानों में जिला स्तरीय डीलरों का पंजीकरण करना चाहता है तथा तदनुसार विविध योग्य पार्टियों से आवेदन आमंत्रित किये|

और हालाँकि, जिला स्तरीय डीलर, लौह व इस्पात उत्पाद या संबंधित उत्पादों का व्यापारिक लेन-देन करता है, और उसने दि. के अपने आवेदन द्वारा (स्थान पर) व्यापारिक प्रचालन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन दिया तथा इस करार के शर्त व निबंधनों की स्वीकृति हेतु विधिवत हस्ताक्षर करके, उन्हें संलग्न किया|

और हालाँकि, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, आवेदनों की जाँच के बाद मेसर्स को जिला स्तरीय डीलर के रूप में पाँच वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्त व निबंधनों के आधार पर सहर्ष पंजीकृत करता है|

अब यह करार निम्नानुसार होगा :

1 **उत्पाद सूची:**

8 एम एम से 16 एम एम के आकार वाले टी एम टी सरिया राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से विपणन किये जानेवाले अन्य आकार व श्रेणी के टी एम टी सरिया व संरचनात्मक उत्पादों को जिला स्तरीय डीलर के अनुरोध पर दिया जा सकता है| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विवेक पर अन्य कोई उत्पाद शामिल किये जा सकते है|

2 **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से माल उठाने हेतु प्रतिबध्द:**

उपलब्धता के अनुसार, जिला स्तरीय डीलर अपनी आवश्यकता के अनुरूप माल उठा सकता है|

प्रस्तावित अनुसार कम से कम 50 टन इस्पात उत्पाद (प्रति माह) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बेचने और जिला स्तरीय डीलर उसे खरीदने के लिए सहमत है| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड समय-समय पर अपने द्वारा तय अनुसार इसी मात्रा के लिए भाडे पर सब्सिडी देता है| जिला स्तरीय डीलर अपनी क्रय योजना बनाएगा और उसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से आहरित करने के लिए देगा, ताकि जिला स्तरीय डीलर के पास स्टॉक के खत्म होने की स्थिति न उत्पन्न हो| जिला स्तरीय डीलर द्वारा महीने में माल की प्रतिबध्द मात्रा नहीं खरीदे जाने पर, अगले महीनों में उसकी भरपाई नहीं की जाएगी| हालांकि, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा तय की हुई मात्रा की आपूर्ति नहीं करने पर, माल की उपलब्धता के आधार पर अगले महीनों में उसकी भरपाई की जा सकेगी|

बिक्री के शर्त व निबंधन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव पत्र और वितरण आदेश में उल्लिखित अनुसार होंगे|

निम्नलिखित पद्धति के अनुसार जिला स्तरीय डीलर के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा:

अ पंजीकरण के बाद, द्वितीय वर्ष के अंत तक निष्पादन का पहला मूल्यांकन किया जाएगा| दो वर्षों के लिए यथानुपातीय प्रतिबद्ध मात्रा का निम्नतम 25% निष्पादन की जरूरत है| द्वितीय वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25% की उठाई में असफल होने पर प्रतिपूर्ति जमा* की जब्ती के साथ-साथ जिला स्तरीय डीलर का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा|

आ यदि उठाई 50% से कम हो तो, प्रतिपूर्ति जमा* जब्त की जाएगी तथा जिला स्तरीय डीलर को अपनी डीलरशिप को जारी रखने हेतु नए सिरे से प्रतिपूर्ति जमा* को प्रस्तुत करना होगा|

* जहाँ भी लागू हो|

इ तृतीय वर्ष से, वर्ष अंत तक वर्षिक स्वीकृत मात्राओं के न्यूनतम 25% निष्पादन की जरूरत होगी| यदि उठाई में असफल होने पर प्रतिपूर्ति जमा* की जब्ती के साथ-साथ जिला स्तरीय डीलर का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा|

ई यदि उठाई 50% से कम हो तो, प्रतिपूर्ति जमा* जब्त की जाएगी तथा जिला स्तरीय डीलर को अपनी डीलरशिप को जारी रखने हेतु नए सिरे से प्रतिपूर्ति जमा* को प्रस्तुत करना होगा|

* जहाँ भी लागू हो|

(एल ओ आई के दिन से वर्ष की गिनती की जाएगी)

उ 5 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर, वर्ष वार परस्पर स्वीकृति के आधार पर जिला स्तरीय पंजीकरण को नवीकृत किया जाएगा तथा ऊपर के इ व ई के अनुसार ही निष्पादन के मानदंड होंगे|

3 **जिला स्तरीय डीलर का क्रय दर:**

जिला स्तरीय डीलर द्वारा खरीदे जानेवाले माल के लिए प्रभार योग्य दर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के एक्स-स्टॉकयार्ड दर (उत्पाद शुल्क व शिक्षा कर सहित) होगा| प्रेषण के दिन मूल्यवर्धित कर/स्थानीय बिक्री कर, राज्य सीमा कर और प्रयोज्य अन्य कर अलग से प्रभारित होंगे|

जिला स्तरीय डीलर को, संबध्द शाखा के स्थान पर देय अनुसार डीडी या पीओ के रूप में माल हेतु प्रस्ताव पत्र के लिए भुगतान करना है|

4 **सामग्री का प्रेषण:**

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का शाखा बिक्री कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय डीलर के परिसर तक सामग्री के परिवहन की व्यवस्था की जाएगी| उपरोक्त परिच्छेद-2 में उल्लिखित अनुसार जिला स्तरीय डीलर को परिवहन पर सब्सिडी, यदि प्रयोज्य हो, तो दी जाएगी|

माल जिला स्तरीय डीलर के परिसर तक पहुँचने के बाद सभी लागत या सेवा प्रभार जिला स्तरीय डीलर द्वारा देय होते हैं| आगे, जिला स्तरीय डीलर से ग्राहकों तक माल पहुँचाने के लिए परिवहन प्रभार जिला स्तरीय डीलर को ही भरना पडेग़ा|

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मुख्यालय/स्टॉकयार्ड के धर्मकाटे या अन्य किसी निर्धारित धर्मकाटे द्वारा दर्ज किया गया भार तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा जारी किये गये बीजक में दिखाया गया भार ही अंतिम माना जाएगा और जिला स्तरीय डीलर उसे स्वीकार करेगा|

5 **जिला स्तरीय डीलर के ग्राहकों को माल की बिक्री:**

जिला स्तरीय डीलर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा घोषित अनुसार, माल बेचने के लिए सिफारिश किये गये प्रति टन अधिकतम खुदरा दर से अधिक दर पर नहीं बेचेगा अथवा मानक बार दर पर बेचेगा| हालांकि बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर/ राज्य सीमा कर, लागू अनुसार अलग से देय होंगे|

जिला स्तरीय डीलरों को शाखा द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार बिक्री के स्थान पर अधिकतम संशोधित खुदरे कीमति को दिखाना होगा|

जिला स्तरीय डीलर, यार्ड से 50 किलोमीटर की रेडियस दूरी के अंतर्गत अपने ग्राहकों के परिसर/स्थान तक परिवहन प्रभार के बिना सामग्री भेजेगा| इस सेवा के लिए डीलरों के लाभ के अलावा 200 रुपये तक की राशि दी जाएगी|

जिला स्तरीय डीलर के ग्राहकों को कर की रियायतें, यदि कोई हों तो, उसके लिए जिला स्तरीय डीलर उत्तरदायी होगा और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड संबद्ध प्राधिकारियों से ऐसे कर के वापसी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा|

जिला स्तरीय डीलर अपने आउटलेट में सिर्फ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के उत्पादों को ही बेचेगा|

6 **प्रतिभूति राशि:**

जिला स्तरीय डीलर को, डीडी/पीओ के माध्यम से निर्धारित शाखा पर देय अनुसार ₹50000 (सिर्फ पचास हजार रुपये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को छोड़कर) की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी| इस प्रतिभूति जमा राशि पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा| जिला स्तरीय डीलर के पंजीकरण की समाप्ति पर इस प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा|

पंजीकरण अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर, यदि पंजीकरण अवधि को आगे नवीकृत नहीं किया गया तो, यह प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी|

7 समाप्ति खंड:

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को निम्नलिखित मामलों में जिला स्तरीय डीलर के पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है:

अ यदि किसी समय जिला स्तरीय डीलर द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन में दी गयी घोषणा में असत्य पाए जाने पर,

आ यदि उपर्युक्त खंड 26 के अनुसार निष्पादन करने में जिला स्तरीय डीलर असफल हो,

इ या ऐसी कोई मामला, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के हित के लिए हानिकर हो,

8 **मध्यस्थता खंड:**

इस करार के निर्माण, अर्थ एवं संचालन अथवा प्रभाव के संबंध में पार्टियों के बीच उठनेवाले सभी विवाद अथवा अंतर्भेद अथवा इसमें दरार के निपटारे की मध्यस्थता भारतीय माध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार होगी और इसके अनुसरण में दिये गये फैसले पार्टियों को मानना होगा|

मध्यस्थता का स्थान/जगह, (शाखा का स्थान) होगा|

साक्ष्य के समक्ष, ऊपर लिखे दिन, महीने एवं वर्ष में पार्टियों ने कार्य हेतु हाथ मिलाया|

....

की उपस्थिति में के माध्यम से

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र के नाम से ....राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

हस्ताक्षिर और प्रदत्त|

साक्ष्य

1 शाखा वित्त प्रबन्धक/शाखा बिक्री कार्यालय/राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

2

.... की उपस्थिति में के माध्यम से

.... के नाम से......................जिला स्तरीय डीलर

हस्ताक्षिर और प्रदत्त|

साक्ष्य :

1

2

<u>अनुलग्नक - 6</u>

जिला स्तरीय डीलर की पंजीकरण पध्दति

1 जिला स्तरीय डीलरों का स्थान वर्ष में दो बार अथवा अनुमोदित अनुसार तय किया जाएगा| प्रत्येक जिले के टायर-2 शहरों में स्थान पहचाने जायेंगे| जिला मुख्यालय पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, शहरी/अर्ध्द शहरी खुदरा योजना लागू करने का विचार है|

2 शाखा प्रबन्धकों को मुख्य स्थानों को पहचानना होगा, जहाँ जिला स्तरीय डीलर काम करेंगे| शाखा प्रबन्धकों के प्रस्तावों की क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा जाँच की जाएगी और वहाँ से सिफारिश किये गये स्थानों की सूची दि.30 जून/सितंबर तक नीति अनुभाग में भेजी जाएगी| सिफारिशों के समेकन के पश्चात नीति अनुभाग पंजीकृत किये जानेवाले स्थानों के पंजीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन दि.31 जुलाई/अक्तूबर तक प्राप्त करेगा| सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, जिन स्थानों के लिए जिला स्तरीय डीलरों का पंजीकरण किया जाना हो, उन स्थानों की योजना एवं विनिर्दिष्ट विवरण की घोषणा करते हुए, संबध्द क्षेत्र के विस्तृत प्रसार वाले क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में, अनुलग्नक-1 में दिये गये प्रपत्र में प्रेस विज्ञापन देंगे|

3 वेबसाइट से आवेदन पत्र को डाऊनलोड करने की अंतिम तिथि और पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का विज्ञापन में उल्लेख रहेगा| विज्ञापन की प्रति, संबध्द क्षेत्रीय कार्यालय, शाखा कार्यालय और स्टॉकयार्ड के सूचनापट्ट पर लगानी होगी|

4 **<u>योग्यता मानदंड:</u>** विज्ञापन में, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछडे वर्ग को दी जानेवाली वरीयता का विस्तृत प्रचार के लिए उल्लेख किया जाएगा| (अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पिछडे वर्ग प्रमाणपत्रों की स्वीकृति दी जाती है)

5 आवेदन का निर्धारित प्रपत्र, आवेदकों के लिए अनुदेश और करार प्रपत्र क्रमश: अनुलग्नक-3, अनुलग्नक-2 और अनुलग्नक-5 में दिये गये हैं|

6 नीति दिशानिर्देशों के खंड 7 और मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर जिला स्तरीय डीलरों के आवेदन पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा|

7 शाखा कार्यालय से द्वितीय शाखा विपणन कार्यपालक और शाखा वित्त प्रबंधक से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी घोषणाएँ/दस्तावेजों के आधार पर आवेदन पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा|

8 मूल्यांकन की समाप्ति तथा आबंटित अंकों के आधार पर समिति अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी|

9 समिति की सिफारिशों के आधार पर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक/शाखा प्रबंधक प्रस्ताव का अनुमोदन देंगे|

10 संबद्ध वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक द्वारा जिला स्तरीय डीलर को आशय पत्र की दो प्रतियाँ जारी की जायेंगी| आशय पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर, खंड 13 के अनुसार प्रयोज्य प्रतिभूति राशि के साथ पंजीकरण की स्वीकृति की पुष्टि में आशय पत्र, जिला स्तरीय डीलर के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत पृष्ठांकित अनुसार जिला स्तरीय डीलर द्वारा वापस किया जाएगा|

11 जिला स्तरीय डीलर, आशय पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मालगोदाम के संचालन हेतु स्थान का विकास करेगा और प्रपत्र में निर्धारित करार की पूर्ति करेगा| जिला स्तरीय डीलर द्वारा संचालन शुरु करने के पश्चात, उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा|

जिला स्तरीय डीलर के आवेदन की मूल्यांकन पध्दति

आवेदन में किये गये दावों और उसके साथ प्रस्तुत किये गये कागजातों को ही समिति स्वीकार करेगी| मूल्यांकन के किसी भी चरण में अतिरिक्त कागजात अथवा दावों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा|

1 विश्वसनीयता और कागजातों की जाँच के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात आवेदक की श्रेणी सूचित की जायेगी|

अ) यदि आवेदक की स्थिति व्यक्तिगत/प्रोप्राइटर की है, तो श्रेणी, वही व्यक्तिगत/प्रोप्राइटर की ही रहेगी|

आ) यदि आवेदक की स्थिति भागीदार संस्था/सहकारी संघ की है, तो सभी भागीदारों/सहकारी संघ के सदस्यों की स्थिति वही सामान्य श्रेणी की होगी| यदि भागीदारों की श्रेणियाँ भिन्न हों, तो संस्था को सामान्य श्रेणी में रखा जायेगा|

इ) अन्य सभी प्रकार भी संस्थाओं को सामान्य श्रेणी में रखा जायेगा|

2 बैंकर का प्रमाणपत्र (अनुसूचित बैंक से जारी) सामान्यतः निर्धारित प्रपत्र के साथ होना चाहिए| इसे नोट करें कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पते पर सीधे बंद लिफाफे में बैंकर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए| सूचित सीमा के आधार पर बैंकर प्रमाणपत्र में निम्नसूचितानुसार अंक आबंटित किए जाएँगे:

क्र सं.	बैंकर प्रमाणपत्र में सीमा	आबंटन किए जानेवाले अंक
1	₹ 5 लाखों तक	शून्य
2	>₹ 5 लाख - से ₹ 7.5 लाख तक	1
3	>₹ 7.5 लाख - से ₹ 10 लाख तक	2
4	>₹ 10 लाख - से ₹ 15 लाख तक	3
5	>₹ 15 लाख	4

3 **<u>इस्पात और सिमेंट में अनुभव:</u>**

यदि आवेदक किन्ही भी पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात या सिमेंट व्यापार से जुड़े हुए हो तो, ऐसे आवेदक को एक अंक दिया जाता है| इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य लोग शून्य अंक प्राप्त करेंगे|

4 मूल्यांकन के लिए कुल 5 (पाँच) अंक हैं

कोई अंक प्राप्त नहीं करने वाले आवेदक यानि, कुल शून्य अंक पानेवाले आवेदकों को पंजीकरण हेतु विचार नहीं किया जाएगा|

सामान्य श्रेणी स्थान के लिए: यदि दो या अधिक आवेदक समान अंक प्राप्त करें तो, प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार होगा (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (2) अन्य पिछड़े वर्ग तथा (3) सामान्य|

यदि एक ही जाति श्रेणी के दो या अधिक आवेदक समान अंक प्राप्त करें तो, बैंकर प्रमाणपत्र (अनुसूचित बैंक द्वारा जारी) के अनुसार उच्चतर सीमा प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी|

<u>अनुलग्नक-8</u>

अनुसुचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों द्वारा
अपना दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र
जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

पंजीकरण सं   दिनांक :

अ) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी-----------------------पुत्र/पुत्री------------------------------ निवासी -------------------- जिला/संभाग------------------ प्रदेश केंद्र शासित राज्य के -------------- जाति/जनजाति समुदाय के हैं, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन मान्यता प्राप्त है.

<u>कृपया टिक लगाएँ</u>

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
2. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
3. संविधान (अनुसूचित जाति) (केंद्र शासित राज्य) आदेश, 1951
4. संविधान (अनुसूचित जन जाति) (केंद्रशासित राज्य) आदेश, 1951
   (जैसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति सूची द्वारा संशोधित (संशोधित) आदेश-1950, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम-1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966, हिमाचल राज्य अधिनियम-1970, उत्तर पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम -1971 और अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधित)-1976)
5. संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
6. संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
7. संविधान (अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
8. संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
9. संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
10. संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
11. संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
12. संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
13. संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
14. संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
15. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
16. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
17. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), 1989
18. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), 1990
19. संविधान (अनुसूचित जाति) द्वितीय संशोधन, 1991
20. संविधान (अनुसूचित जनजाति) द्वितीय संशोधन, 1991

आ) अपने मूल राज्य/संघ शासित राज्य से प्रवास पर आनेवाले अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के उपयोगार्थ (यदि परिच्छेद लागू न हो, तो काट दें) :

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती/कुमारी माता/पिता श्री/श्रीमती/कुमारी , निवासी , जिला/संभाग , राज्य/संघ शासित प्रांत को जारी किये गये अनुसूचित जाति/जनजाति, जो अनुसूचित जाति/जनजाति के समुदाय के हैं, जिसे अनुसूचित जाति/ जनजाति के रूप में राज्य/संघ शासित प्रांत में मान्यता दी गयी है, प्रमाणपत्र के आधार पर आदेश सं. , दि द्वारा जारी किया जाता है।

इ) श्री/श्रीमती/कुमारी और/या उनका परिवार आम तौर पर जिला/ राज्य के प्रभाग/संघ शासित प्रांत के गाँव/शहर में रहते हैं|

स्थान : हस्ताक्षर :

राज्य/संघ शासित प्रांत जारी करनेवाले प्राधिकारी का नाम :

दिनांक : प्रभाग :

(कार्यालय की मुहर सहित)

नोट: 1 यहाँ प्रयुक्त 'सामान्यत:' शब्द का अर्थ, जनता के अभ्यावेदन अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिये जैसा है|

2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों को जारी करने हेतु अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची :

अ) जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/समाहर्ता/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/परगनाधिकारी/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट

आ) चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट

इ) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार श्रेणी से कम न हो|

ई) क्षेत्र, जहाँ उम्मीदवार और/अथवा उसका परिवार सामान्यत: रहता हो, का उप-प्रभाग अधिकारी

3 उपरोक्त के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा|

अनुलग्नक-9

अन्य पिछडे वर्ग के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र
जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

पंजीकरण सं दिनांक :

अ) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी-----------------------पुत्र/पुत्री------------------------------ निवासी -------------------- जिला/संभाग------------------ प्रदेश केंद्र शासित राज्य के ------------- जाति/जनजाति समुदाय के हैं, जो अन्य पिछडे वर्ग के अधीन मान्यता प्राप्त है.

कृपया टिक लगाए

अ) भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं12011/68/93-बी सी सी, दि1091993
भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण भाग-1, अनुभाग-1, सं186, दि1391993

आ) भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं12011/9/94-बी सी सी, दि19101994
भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण भाग-1, अनुभाग-1, सं163, दि20101994

इ) भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं12011/7/95-बी सी सी, दि24051995
भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण भाग-1, अनुभाग-1, सं88, दि25051995

ई) भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं12011/96/94-बी सी सी, दि06121996
भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण भाग-1, अनुभाग-1, सं210, दि11121996

आ) अपने मूल राज्य/संघ शासित राज्य से प्रवास पर आनेवाले अन्य पिछडे वर्ग के लोगों के उपयोगार्थ (यदि परिच्छेद लागू न हो, तो काट दें) :

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती/कुमारी माता/पिता श्री/श्रीमती/कुमारी , निवासी , जिला/संभाग , राज्य/संघ शासित प्रांत को जारी किये गये अन्य पिछडा वर्ग, जो अन्य पिछडे वर्ग के समुदाय के हैं, जिसे अन्य पिछडे वर्ग के रूप में राज्य/संघ शासित प्रांत में मान्यता दी गयी है, प्रमाणपत्र के आधार पर आदेश सं., दि द्वारा जारी किया जाता है|

इ) श्री/श्रीमती/कुमारी और/या उनका परिवार आम तौर पर जिला/राज्य के प्रभाग/संघ शासित प्रांत के गाँव/शहर में रहते हैं|

स्थान : हस्ताक्षर :
राज्य/संघ शासित प्रांत जारी करनेवाले प्राधिकारी का नाम :
दिनांक : प्रभाग :

(कार्यालय की मुहर सहित)

नोट: 1 यहाँ प्रयुक्त 'सामान्यत:' शब्द का अर्थ, जनता के अभ्यावेदन अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिये जैसा है|

2 अन्य पिछडे वर्ग के प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची :

अ) जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/समाहर्ता/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/परगनाधिकारी/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट

आ) चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट

इ) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार श्रेणी से कम न हो.

ई) क्षेत्र, जहाँ उम्मीदवार और/अथवा उसका परिवार सामान्यत: रहता हो, का उप-प्रभाग अधिकारी

3 उपरोक्त के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा|